न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 03/19
(जीसीएमएस नम्बर 2019/00022)

निर्णय दिनांकः– 08-07-2025

1. भंवरी देवी पत्नी हरनाम जाति बिश्नोई निवासी ग्राम जयसिंहदेसर मगरा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. हरनाम पुत्र राजूराम जाति बिश्नोई निवासी ग्राम जयसिंहदेसर मगरा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. अशोक पुत्र रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी जयसिंहदेसर मगरा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. इन्द्रा पुत्री रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी जयसिंहदेसर मगरा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. बजरंग पुत्र रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी जयसिंहदेसर मगरा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
4. सुनील पुत्र रामस्वरूप जरिये वली माता लिछमा जाति बिश्नोई निवासी जयसिंहदेसर मगरा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
5. निरमा पुत्री रामस्वरूप जरिये वली माता लिछमा जाति बिश्नोई निवासी जयसिंहदेसर मगरा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
6. शोभा पुत्री रामस्वरूप जरिये वली माता लिछमा जाति बिश्नोई निवासी जयसिंहदेसर मगरा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
7. सुखाराम पुत्र रामस्वरूप जरिये वली माता लिछमा जाति बिश्नोई निवासी जयसिंहदेसर मगरा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
8. अंकित पुत्र रामस्वरूप जरिये वली माता लिछमा जाति बिश्नोई निवासी जयसिंहदेसर मगरा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
9. रामस्वरूप पुत्र राजूराम जाति बिश्नोई निवासी जयसिंहदेसर मगरा तहसील नोखा जिला बीकानेर। (मृतक)
10. रूपादेवी पत्नी बगडूराम जाति बिश्नोई जयसिंहदेसर मगरा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
11. बंशीलाल पुत्र राजूराम जाति बिश्नोई जयसिंहदेसर मगरा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

12. भजनलाल पुत्र राजूराम जाति बिश्नोई जयसिंहदेसर मगरा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
13. मुनीराम पुत्र राजूराम जाति बिश्नोई जयसिंहदेसर मगरा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
14. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोखा जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 04–04–2013
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः–

1. श्री जयचंदलाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री ओम चाण्डक, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 8
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 04–04–2013 जिसके द्वारा रेस्पोडेंट्स के वादपत्र को स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्टस के वादपत्र को एकतरफा विधि विरूद्ध तरीके से स्वीकार किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा तौर पर अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को सुने बिना निर्णय व डिक्री पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 8 ने एक दावा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

द्वारा प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये उक्त नोटिस अदम तामील प्राप्त होने के बावजूद भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए सरसरी तौर पर बिना स्टेट का जवाब प्राप्त किये एवं बिना किसी प्रकार की कोई तनकियात कायम करते हुए वादी का वाद स्वीकार किया गया है। वादी के पिता रामस्वरूप ने अपनी भूमि दो रजिस्टर्ड बैयनामों से दिनांक 29—08—2005 एवं दिनांक 19—05—2008 को रूपादेवी पत्नी बगडूराम को बेच दी एवं उसके पश्चात खरीददार रूपादेवी ने अपनी खरीदशुदा भूमि दिनांक 27—07—2010 को भंवरी देवी (अपीलांट) पत्नी हरनाम को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा विक्रय कर दी। रेस्पोडेन्ट संख्या 9 रामस्वरूप के पुत्रों ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए प्रस्तुत करते हुए अपने पिता द्वारा निष्पादित बैयनामे हक से अधिक भूमि के करवाये जाने से वॉयड होने के कारण वादीगण का राजस्व रिकोर्ड में अंकन करवाये जाने की इस्तदुआ अधीनस्थ न्यायालय से की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा तौर पर बिना किसी प्रतिवादी को सुने, बिना 80 (2) सीपीसी का जवाब लिये, बिना कोई तनकी कायम किये एवं बिना कोई साक्ष्य व सबूत के वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए वादीगण के 1/45—1/45 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए राजस्व रिकोर्ड को दुरूस्त कर दिया एवं वादगत भूमि में वादीगण का हिस्सा बाई मिट्स एवं बाउण्डस के आधार पर विभाजित भी कर दिया तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिर निषेधाज्ञा भी जारी कर दी। अधीनस्थ न्यायालय से वादीगण ने सिर्फ राजस्व रिकोर्ड में अंकन का अनुतोष मांगा था मगर अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण के अनुतोष से अधिक दावा डिक्री कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण ने कहीं भी यह साबित नहीं किया कि प्रतिवादी संख्या 1 रामस्वरूप/उनके पिता के हिस्से मे कितनी भूमि आती है एवं उन्होंने कितनी भूमि का बेचान कर दिया है। रजिस्टर्ड बैयनामा जो कि शून्यकरणीय की श्रेणी में आता है उसको निरस्त करने का अधिकार सिविल कोर्ट के पास होता है। वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 8 ने बैयनामा निरस्त करवाने हेतु किसी सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना साक्ष्य व जिरह, बिना तनकी कायम किये सीधे ही वाद को विधिविरूद्ध एकतरफा तौर पर डिक्री किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आगे अभिभाषक अपीलांट ने मियांद पर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा तौर पर निर्णय व डिक्री पारित किया है एवं ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रथम जानकारी दिनांक 06—08—2015 को हुई एवं अपीलांट्स ने प्रथम जानकारी से बिना कोई विलम्ब किये अंदर मियांद अपील प्रस्तुत कर दी है। अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपीलांट्स का मियांद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियादं शुमार की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1994 पेज 604, आरआरडी 1994 पेज 606, आरआरटी 2011 पेज 144, आरआरटी 2012 पेज 673, आरआरटी 2003 पार्ट ।। पेज 1041 आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने मियांद पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट तौर पर मियादं बाहर प्रस्तुत की है। अपीलांट्स ने मियांद कण्डोन करने के जो कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये है वो झूठे एवं मिथ्या है। अपीलांट्स द्वारा जो कारण अंकित किये है वो संतोषजनक नहीं है। मियांद अधिनियम के तहत अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब के प्रत्येक दिन का कारण प्रस्तुत करना होता है। अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी पटवारी से होना अंकित किया है जबकि पत्रावली पर पटवारी का ऐसा कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। केवल मात्र मौखिक कथनों के आधार पर अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब को माफ नहीं किया जा सकता है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत मियादं प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए अपील को मियांद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने पत्रावली पर बहस करते हुए कथन किया कि जहां तक अपीलांट द्वारा धारा 80 सीपीसी की आपत्ति का प्रश्न है, इस संबंध में यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि धारा 80 सीपीसी की आपत्ति केवल स्टेट ही ला सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा आदेश पारित किये जाने के संबंध में कथित किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तो उनको .

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सूचना नहीं होने का कथन स्वीकार योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस दो गवाहों के समक्ष पक्षकारों के आबाद मकान पर चस्पा किये गये थे एवं बावजूद उसके भी पक्षकार के हाजिर नहीं आने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित करने में कोई भूल नहीं की है। जहां तक एकतरफा कार्यवाही को अपास्त किये जाने का प्रश्न है इस संबंध में तामील/अदम तामील की आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है अपीलीय न्यायालय में यह आपत्ति नहीं उठा सकते है। अपीलांट्स ने अपनी अपील में लिछमा पत्नी रामस्वरूप को पक्षकार स्थापित नहीं किया है। दौराने अपील रामस्वरूप रेस्पोडेन्ट संख्या 9 फौत हो जाने के पश्चात अपीलांट्स द्वारा लिछमा को पक्षकार बनाये जाने की दरखास्त न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर न्यायालय हाजा ने लिछमा को पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। उक्त प्रार्थना पत्र खारिजी आदेश को अपीलांट्स द्वारा आदिनांक तक सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। ऐसे में अपीलांट्स द्वारा अपील में आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार ही नहीं बनाये से अपील संधारणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का कोई उज्र एतराज किसी भी पक्षकार ने पेश नहीं किया था तो उसे तनकी बनाने की तथा तनकीवार विवेचन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अपीलांट्स का यह कथन कि बैयनामा निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है क्योंकि शून्य बैयनामों को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय के पास ही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत तरीके से निर्णय व डिक्री पारित किये जाने से अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1974 पेज 271, आरआरडी 1990 पेज 20, आरआरडी 1994 पेज 693, आरबीजे 1998 पेज 443, आरआरडी 1990 पेज 545 आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 04–04–2013 के विरूद्व अपील दिनांक 18–08–2015 को प्रस्तुत की गई है। मियांद पर अभिभाषक अपीलांट्स का कथन है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा तौर पर पारित किया जाने से अपील अंदर मियांद शुमार की जावे। इसके विपरीत अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स का कथन है कि अपील स्पष्ट तौर पर मियादं बाहर प्रस्तुत किये जाने से अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट्स की अनुपस्थिति में पारित किया गया है एवं अपीलांट्स ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रथम जानकारी दिनांक 06–08–2015 को होना अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियांद अधिनियम में अंकित की है जिसके समर्थन में अपीलांट्स ने शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है जिसके काउण्टर में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए व गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना श्रेयस्कर होने के बिन्दु के मध्यनजर अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अंदर मियांद शुमार की जाती है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जो अदम तामील प्राप्त हुए है। उक्त अदम तामील नोटिस की रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि सायल गांव में हाजिर नही मिला। सम्मन की एक प्रति सायल के घर पर चस्पा की गई। लेकिन नोटिस चस्पानगी का कोई आदेश न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं किया गया था तथा ना ही अदम तामील की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये जिससे प्रतिवादीगण की सम्यक तामील हो पाती। यह सही है कि सम्यक तामील का प्रश्न अपीलीय न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया जा सकता है। अब जबकि उभय पक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित है, ऐसे में गुणावगुण पर निर्णय किया जाना श्रेयस्कर है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

यहां यह देखा जाना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र के निर्णय तक पहुंचने के लिए विधिक प्रावधानों की सम्यक पालना की है अथवा नहीं? अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध वादपत्र के अवलोकन से प्रकट होता है कि वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए के तहत प्रस्तुत हुआ था जिसमें वादी द्वारा निम्नांकित अनुतोष चाहा गया था:–

"अ. कि घोषणा की जावे कि वादगत पैतृक भूमि खसरा क्रमशः 171, 172, 189, 190, 196, 273 तादादी क्रमशः 0.60, 0.08, 0.43, 3.30, 17.64, 5.38 हैक्टेयर कुल तादादी 27.43 हैक्टेयर वाके रोही मूंजासर तहसील नोखा में वादीगण का 1/45–1/45 हिस्सा खातेदारी अधिकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में हक से अधिक किए गए विक्रय पत्र नल एण्ड वॉयड है, इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र भी नल एण्ड वॉयड है तदनुसार वादीगण का राजस्व रिकोर्ड में अंकन किया जावे।"

स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किये गये विक्रय पत्रों को हक हिस्से से अधिक बताकर नल एण्ड वॉयड के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अनुतोष चाहा गया।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निष्पादित विक्रय पत्रों के संबंध में कोई विवेचन नहीं किया गया है कि आया विक्रय पत्र हक व हिस्से से अधिक हिस्से के निष्पादित किये गये है अथवा नहीं? विक्रय पत्र शून्य है अथवा नहीं? विक्रय पत्रों को शून्य अथवा शून्यकरणीय मानने के संबंध में भी कोई फाइडिंग नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो विक्रयपत्र को आरम्भतः शून्य माना है और ना ही शून्य घोषित किया है। इस सूरत में वादी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा किस प्रकार की जा सकती है क्योंकि खातेदारी अधिकारों की घोषणा इसी तथ्य पर आधारित है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कहीं भी इस तथ्य का विवेचन नहीं किया है कि प्रश्नगत अराजी पैतृक संपति है अथवा नहीं? प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में कितनी अराजी है? प्रतिवादी संख्या 1 को कितनी अराजी विक्रय करने का अधिकार था? क्या प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से से अधिक विक्रय किया गया अथवा नहीं?

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चाहे गये अनुतोष से बाहर जाकर वादी द्वारा बिना मांगे ही खाता विभाजन करने का आदेश पारित कर दिये गये है। जबकि खाता विभाजन का अनुतोष वादपत्र में उल्लेखित ही नहीं है।

समस्त प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए स्टेट का जवाब बंद करते हुए केवल वादीगण के शपथपत्रों के आधार पर बिना कानूनी बिन्दु पर विवेचन किये हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जोकि पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आने से निरस्त योग्य है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री 04–04–2013 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वादपत्र में विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुए पुनः गुणावगुण पर विधि सम्मत् निर्णय पारित करें।

9. निर्णय आज दिनांक 08-07-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर